# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12 / 2023

प्रविष्टि दिनांक 23.6..2023

निर्णय दिनांक 31.08.2023

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक जिला टोंक

..... सायल

बनाम

शराफत पुत्र अख्तर बुलन्द जाति मुसलमान पठान निवासी चतरा खटीक का नाला पाडेवालों का घेर कालीपलटन टोंक थाना कोतवाली टोंक जिला टोंक

..... गैर सायल

**इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975**

उपस्थिति :–1–अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेरोकार

2–गैर सायल स्वयं उप.।

<u>निर्णय</u> दिनांक 31.08.2023

पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल शराफत पुत्र अख्तर बुलन्द जाति मुसलमान पठान निवासी चतरा खटीक का नाला पाडेवालों का घेर कालीपलटन टोंक थाना कोतवाली टोंक जिला टोंक के विरूद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृति में लीन है, अतः गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया। गैर सायल द्वारा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरूद्व अभियोग

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

क्रमशः 125/22 दिनांक 06.04.2022 थाना कोतवाली, 140/22 दिनांक 22.04.2022 थाना कोतवाली धारा 13 RPGO में दर्ज होकर दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल काफी समय से बदमाशों के साथ बैठ कर शराब पीना व जुआ खेलने का अपराध करने लग गया है तथा अन्य लोगों को भी अपराध करने व जुआ खेलने के लिए उकसाने लग गया है। गैर सायल की इन अपराधिक गतिविधियों से समाज के लोंगो पर काफी बुरा असर पड रहा है। गैर सायल की आम शोहरत खराब है, लोग इससे भयभीत रहते है। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना आम जीवन के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से खतरा बन गया है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किये जाने के आदेश फरमावें।

गैर सायल ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणो में आरोप लगाये गये है वह केवल धारा 13 RPGO के है न कि किसी बडे अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणो का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। गैर सायल ने निवेदन किया कि वर्तमान में वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है तथा उसके खिलाफ कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में गैर सायल ने शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासे में जिन प्रकरणों को आधार बनाया गया हैं, वे गत वर्ष के है तथा सभी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है व वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। गैर सायल पर अपहरण, हत्या, बलात्कार, चौरी जैसे किसी भी बड़े अपराध का आरोप नहीं है। गैर सायल वर्तमान में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। गैर सायल द्वारा इस बात का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। अतः गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था के लिए खतरा प्रतीत नहीं होता है।

फलतः पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक